न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 22/2024
दायर दिनांक : 01/03/2024
निर्णय दिनांक : 09/10/2025

उनवान

1. नाथूलाल पिता नारायण रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. प्रभुबाई पत्नी स्व. लच्छीराम रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2. एकलिंग पिता नारायण रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
3. चोखाराम पिता नारायण रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
4. हरिराम पिता नारायण रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
5. चतरभुज पिता नारायण रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
6. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री मांगीलाल बैरवा, वादी अधिवक्ता
2. श्री देवीलाल जाट, प्रतिवादी अधिवक्ता

:: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैः–

यह कि ग्राम आकोला प.ह. आकोला के खाता सं. 1 आ.सं. 5155 रकबा 0.0250 है. व खाता सं. 574 के आ.सं. 4774 रकबा 0.85 है. आ.सं. 4854 रकबा 0.16 है. आ.सं. 4855 रकबा 0.05 है., आ. सं. 4856 रकबा 0.06 है., किता 4 रकबा 1.12 है. तथा खाता सं. 576 के आ.सं. 4776 रकबा 0.43 है. व आ.सं. 7974/4777 रकबा 0.055 है. किता 2 रकबा 0.4850 है. स्थित है वजह सबूत नकल जमाबंदी संलग्न है। यह कि उक्त आराजियात में वादी का हक हिस्सा निहित होकर हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजियात वादी को विरासत से प्राप्त हुई है तथा वादी के कब्जे काश्त की है तथा वादीगण द्वारा उक्त आराजियात पर कृषि कार्य किया जा रहा है तथा फसल खडी है। उक्त आराजियात पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं लेकिन संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजियात होने से कारण प्रतिवादीगण आए दिन लडाई झगडा करते हैं तथा वादी का कब्जा हटाने पर आमादा हैं उक्त आराजियात बिना बंटवारे की है एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 वादी से आए दिन हक हिस्से व सीमाओं को लेकर व अन्य कानूनी अडचने व विवाद करते हैं, इसलिए पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवारा आराजियात की डिक्री मौके कब्जे अनुसार जारी फरमाई जाकर वादी का हक हिस्सा कुलिया आराजियात का बंटवारा कराया जाकर वादी की अलग से खाताबंदी नक्शा एवं लगानबंदी कायम कराने की डिक्री फरमाई जावे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ

इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.01.2025 के द्वारा तहसीलदार, भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। तहसीलदार, भूपालसागर के द्वारा पक्षकारों को अग्रिम सूचना पत्र जारी कर पटवार हल्का एवं भू अ. निरीक्षक आकोला के द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौका निरीक्षण कर बंटवारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक/भू.अ./2025/1044 दिनांक 12.09.2025 से प्रेषित किया गया, जो शामिल पत्रावली है। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने निवेदन किया कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा करने में कोई आपत्ति नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.30 15:22:30 IST
Reason: SelfAttested

16

एवं अंतिम डिक्री जारी की जावे। वकील उभयपक्ष की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा –

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा	लगान
1	श्री चतरभुज पुत्र नारायण रेगर सा. देह	4774/1 4854 4854 4856 5155 मी./1	0.1350 0.0106 0.0107 0.0600 0.0125	0.80 0.02 0.03 0.12 2.26
	योग	5	0.2288	1.23
2	नाथूलाल पुत्र नारायण रेगर सा. देह	4774/3 4776 मी. 4854 4854	0.1350 0.1225 0.0106 0.0107	0.80 0.71 0.02 0.03
	योग	4	0.2788	1.56
3	प्रभुबाई पत्नी लच्छीराम रेगर सा. देह 1/3 भगवतीबाई उर्फ लालीबाई, शांतिबाई पिता लच्छीराम 2/8 हि.बं. मेघवाल सा.देह	4774/2 4776/2 4854 4854	0.1350 0.1225 0.0106 0.0107	0.80 0.71 0.02 0.03
	योग	4	0.2788	1.56
4	एकलिंग पुत्र नारायण रेगर सा. देह	4774/4 4776/1 4854 4854	0.1350 0.1225 0.0106 0.0107	0.80 0.71 0.02 0.03
	योग	4	0.2788	1.56
5	हरिराम पुत्र नारायण रेगर सा.देह	4774 मी. 4776/3 4854 4854 7974/4777	0.1750 0.0625 0.0107 0.0107 0.0550	1.04 0.37 0.02 0.02 0.33
	योग	5	0.3139	1.78
6	चौखाराम पुत्र नारायण रेगर सा.दहे	4774/5 4854 4854 5155 मी. 4855	0.1350 0.0107 0.0107 0.0125 0.0500	0.80 0.02 0.02 0.26 0.30
	योग	5	0.2189	1.40
7	नाथूलाल, हरिराम, एकलिंग, चतरभुज, चौखाराम, पुत्र नारायण, प्रभुबाई पत्नी लच्छीराम रेगर सा.देह	4854 4854 4854	0.0160 0.0080 0.0080	0.02 0.01 0.01
	योग	3	0.0320	0.04

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावे। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.30 15:22:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को लिखवाया [illegible] रे इजलास सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़